



प्रालियम एव प्राकृतिक गस मेंलिय
भारत सरकार

उज्ज्वला केवाईसी आवेदन

मरा जाना है। सभी फाल्ड मरने

७ श्रीमती

1 प्रथम नाम

THE JOURNAL OF CLIMATE

४	गली/सड़क का नाम	क्षेत्र/डाक घर का नाम		
५	शहर / कस्बा	पिन कोड		
६	गांव / पंचायत	मोबाइल नंबर		
७	ब्लॉक / उप जिला	ईमेल ID @		
८	जिला			
९	राज्य			
c)	18 वर्ष से अधिक उम्र के परिवार के सदस्यों का विवरण (साझी रसोई वाले एक आयासीय इकाई में एक साथ रहने वाले लोग)			
क्र. सं.	आवेदक के साथ संबंध	नाम (प्रथम नाम, अंतिम नाम)	आधार संख्या (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	लिंग (M/F)
1				
2				
3				

पहले में शामिल होने संबंधी विवरण	
c) मेरा आधार कार्ड विवरण (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें)	
1 आधार कार्ड में नाम	
2 आधार संख्या	
d) मेरे बैंक खाते का विवरण (पासबुक/बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक की प्रति संलग्न करें, जिस पर खाताधारक का नाम/खाता सं. व आईएफएससी कोड लिखा हो)	
1 बैंक खाते में नाम	
2 बैंक का नाम	
3 शाखा का नाम	

4 आईएफएससी कोड

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के विवरण
पोओए दस्तवेज़ के आधार कार्ड (युआईडी): -पीओए01
उपलिखित वार्तामें पीआम02

a) प्रश्नालनमें उज्ज्वला योजना के तहत तल विषयक विद्यार्थी द्वारा गरबा रखा स नाच (बायारल) पारवारा संबंधित महिलाओं की लिए एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

b) यह योजना सिलिंडर, प्रशंसन रेयुलेटर की सुरक्षा लागत, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी), सुरक्षा हौज तथा स्थापना व प्रशासनिक प्रभार की लागत को कवर करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

c) कुकिंग स्टोर तथा पहली रिफिल भराई के लिए ईरमआई विकल्प आधारित क्रृति भी उपलब्ध है। यह आपके भविष्य रिफिलों की सब्सिडी राशि वसूल हो जाएगा।

d) ओरेमसी के पास उपलब्ध बीपीएल जनसंख्या की अधिकृत सूची से इस केवाइसी फार्म में प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित किया जाएगा।

e) आपके घर पर प्रीट्रीम एलपीजी कनेक्शन त द्वेष की पर्याप्त सफल सत्यापन पर भाग लाग तियम एवं शर्तों के लिए कराया जाएगा।

अधीन रसोई गैस कलेक्शनजारी किया जाएगा ।

उपकरण चयन (उपयुक्त बॉक्स / बॉक्सों को टिक करें)				
1 वांछित एलपीजी सिलेंडर का प्रकार (वांछित उपकरण का चयन करें)		14.2 किलो सिलेंडर	5 किलो सिलेंडर	
2 क्या आपको वितरक से एलपीजी स्टोव चाहिए (हां या नहीं)	हां		नहीं	
3 क्या आपको एलपीजी स्टोव व पहले एलपीजी रिफिल के लिए ओएमसी से खरीद की आवश्यकता है ?	स्टोव		रिफिल	कोई नहीं

प्रिय एलपीजी वितरक

मैं यहाँ पृष्ठे करता हूँ कि इस प्रप्ति में पस्तव जावकारी सही है और कछ मैं तभी छपाया गया है, और सबो मालम है कि यदि कोई सुचना आती है तो भारतीय दंड संवित

- a) दंडनीय है ।

b) मैं आईओसी/एचपीसी/बीपीसी/एमओपीएयंएनजी को मेरे बैंक खाते के बंद/परिवर्तन/निष्पिक्यण /बैंक NACH में नहीं या बैंक द्वारा किसी भी अस्वीकृति या जानकारी की गैर-गोपनीयता के कारण सविस्ती प्रदान करने में किसी भी देरी/गैर प्राप्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा।

c) उपरोक्त जानकारी में किसी भी संशोधन/परिवर्तन के मामले में, मैं एततीजी वितरक को सूचित करूँगा ।

d) मैं अपने आधार नं/जनसांख्यिकीय डेटा/बैंक खाता विवरण को अयतन तथा आपस में एवं वाहरी एजेंसियों द्वारा डी-डुप्लीकेशन/प्रमाणीकरण/सत्यापन उद्देश्यों हेतु साझा करने के लिए अपनी तेल कंपनी / बैंक को प्राप्तिकृत करता हूँ ।

e) यदि ओएमसी से एलपीजी स्टोर तथा पहली रिफिल ऋण पर खरीदी जाती है तो मैं अपनी ओएमसी को मेरे द्वारा ली गई रिफिल की सविस्ती से ऋण राशि वसूलने के लिए प्राप्तिकृत करता हूँ । मुझे पूर्ण जात है कि मेरे बैंक खाते में मेरे द्वारा खरीदे गए रिफिल की सविस्ती प्राप्त नहीं होगी जब तक कि ओएमसी द्वारा पूरी ऋण राशि वसूली नहीं जाती ।

f) एलपीजी के आपूर्ति तथा वितरण संबंधी सरकारी विनियमों के उल्लंघन पर आईओसी/एचपीसी/बीपीसी को मुझे एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति रोकने, सुरक्षा राशि जब्त करने तथा नियम एवं दिशानिर्देशों के अनुसार दंड प्रभार लगाने तथा प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अपना अधिकार होगा।

g) मैं भारत का नागरिक / अप्रवासी भारतीय / भारत में सेवारत विदेशी नागरिकता का कर्मचारी / वैध वीसा के तहत भारत में निवास कर रहा विदेशी नागरिक / निवास स्थानांतरण / पीआईओ पर भारत वापस लौट रहा व्यक्ति हूँ । *जो लागू हो उसे टिक करें । केवल भारतीय नागरिक ही रियायती एलपीजी हेतु पात्र हैं।

h) कि मेरी जन्म तिथि _____ है । (18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को एलपीजी कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है)

i) कि मेरे या मेरे परिवार (परिवार का अर्थ पति, पत्नी, अविवाहित बच्चों तथा आश्रित माता-पिता से हैं जो एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई का प्रयोग करते हैं) के किसी सदस्य के पास घरेलू उपयोग हेतु किसी भी पीएसयू तेल कंपनी का कोई एलपीजी अथवा पीएनजी कनेक्शन नहीं है । (परिवार, जिनके पास पीएनजी कनेक्शन हैं, वे रियायती एलपीजी हेतु पात्र नहीं हैं।)

k) मैं पुष्टि करता हूँ कि मुझे जारी किए गए एलपीजी कनेक्शन का उपयोग ऊपर उल्लिखित मेरे पते पर घर में केवल खाना बनाने हेतु किया जाएगा तथा मैं इसके उपयोग पर लागू सभी शर्तों से वाध्य रहूँगा ।

l) कि मैं उसी रसोई में कोई दूसरा एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं रखूँगा ।

m) जब भी मुझे इस कनेक्शन पर दूसरा सिलिंडर मिलेगा, मैं इसका उसी रसोई में मूल संस्थापन के साथ उपयोग करूँगा ।

n) जब भी मैं अपना निवास वर्तमान पते से अन्य जगह बदलूँगा, मैं ऐससे _____ (वितरक / आरजीजीएलवी का नाम) को रिकार्ड में अपने पते में परिवर्तन करने हेतु लिखित रूप में अधिग्रहण सूचित करूँगा ।

मुझे पता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त घोषणा पत्र तथा अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) फार्म में दी गई जानकारी, निवास प्रमाण तथा पहचान प्रमाण के आधार पर घरेलू सविस्तीयुक्त गैस कनेक्शन जो कि मुझे ऐसी इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) / भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा जारी किया जाएगा तथा मेरे परिवार के किसी भी सरकारी तेल कंपनी का घरेलू सविस्तीयुक्त गैस कनेक्शन होने की डी-डुप्लीकेशन जांच पूरी होने के बाद ही इसे जारी किया जाएगा ।

यदि इस घोषणापत्र में मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना / घोषणा, केवाईसी फार्म अथवा निवास / पहचान प्रमाण के लिए दिए गए दस्तावेज गलत/असत्य पाए जाते हैं तो संबंधित तेल कंपनी को ऐसी आपूर्ति रोकने/कनेक्शन बंद करने/उपकरण जब्त करने/सिक्योरिटी जब्त करने का प्रा अधिकार होगा तथा मैं इस प्रकार ऐसी की आपूर्ति रोकने/कनेक्शन बंद करने/उपकरण जब्त करने/सिक्योरिटी जब्त करने के विरुद्ध मेरसर इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड/भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन पर कोई दावा नहीं करूँगा ।

योजना

स्वच्छ ईंधन..बेहतर जीवन !

घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

तिथि :- _____

स्थान :- _____

नाम :- _____

डीलर/वितरक द्वारा भरा जाए

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियों को उनकी मूल प्रति से सत्यापित कर लिया गया है ।

एएचएल टिन नंबर _____ (एएचएल टिन नंबर एसईसीसी सूची में चिह्नित है, जो परिवार में किसी व्यक्ति से संबंधित है)

(प) _____ स्थान _____

एएचएल टिन नंबर

--	--	--	--	--

8